


राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/2016/ 20

दिनांक: 17.06.2016

संशोधित विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 11.05.2016 की पालना में क्रमांक नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/2016/15 दिनांक 30.05.2016 के द्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में निम्नानुसार संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाती है। इस विभाग द्वारा एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु दिनांक 04.05.2007, 08.08.2007 को जारी विज्ञप्ति एवं निदेशालय द्वारा दिनांक 15.04.2008 को समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी दिशा निर्देशों के आधार पर सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर जारी विज्ञप्तियों के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिस जिले के मूल निवासी है, उसी जिले हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करने बाबत अपने मूल निवास के जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दिनांक 20.06.2016 से 24.06.2016 तक कार्यालय समय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर